राजस्थान स्टेट माईन्स एण्ड मिनरल्स लि0

(राजस्थान सरकार का उपक्रम)

8 वेस्ट पटेल नगर, सर्किट हाउस रोड, जोधपुर

ई–निविदा संख्या : आर.एस.एम.एम./एसबीयू एण्ड पीसी–एल.एस./जीजीएम–एलएस/संविदा–16/2019–20
दिनांक : 02.03.2020

सानु लाईमस्टोन पर वृक्षारोपण
इत्त्यादि कार्यो हेतु अकुशल श्रमिक लगाना
ई–निविदा प्रपत्र

निविदा प्रपत्र का मूल्य	.....	रु.1180/– (वस्तु एवं सेवा कर सहित)
निविदा प्रपत्र डाउनलोड करने की अवधि	.....	दिनांक 02/03/2020 से दिनांक 24/03/2020 अपरान्ह 1.00 बजे तक
ऑनलाइन निविदा अपलोड करने की अन्तिम तिथि–समय	.....	दिनांक 24/03/2020 अपरान्ह 3.00 बजे तक
ई–निविदा खुलने की तिथी–समय	.....	दिनांक 25/03/2020 अपरान्ह 3.30 बजे तक

महाप्रबन्धक (लाईम स्टोन)
जोधपुर कार्यालय की ओर से जारी

राजस्थान स्टेट माईन्स एण्ड मिनरल्स लि.

(राजस्थान सरकार का उपक्रम)

8, वेस्ट पटेल नगर , सर्किट हाउस रोड , जोधपुर

Phone: 0291 2511031 / 2516199 Fax: 0291 2511029

ई–निविदा संख्या : आर.एस.एम.एम / एस.बी.यू.एण्ड पी.सी.–एल.एस. / जी.जी.एम..–एल.एस. / सविंदा–16 / 2019–20 दिनांक: 02.03.2020

ई–निविदा सूचना

ऑनलाइन निविदा इलेक्ट्रिानिक फार्मेट में https://eproc.rajasthan.gov.in, के माध्यम से आमॅत्रित की जाती है। कार्य का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है:

कार्य का विवरण	निविदा प्रपत्र विक्रय व प्रस्तुत करने की तिथि	धरोहर राशि एवं निविदा प्रपत्र मूल्य	कार्य अवधि एवं अनुमानित लागत
सानु लाईमस्टोन पर वृक्षारोपण एवं अन्य विभिन्न कार्यो हेतु पर्याप्त संख्या में अकुशल श्रमिक लगाकर संबंधित कार्य करवाना।	ई–निविदा प्रपत्र डाउनलोड करने की अवधि दि. 02..03.2020 से 24.03.2020 दोपहर 01.00 बजें तक। ऑनलाइन निविदा अपलोड करने की अन्तिम तिथि–समय दिनांक 24 / 03 / 2020 अपरान्ह 3.00 बजे तक।	धरोहर राशि – रूपये 47, 400 / – (डिमाण्ड ड्राफ्ट) निविदा प्रपत्र (अहस्तान्तरणीय) रूपये 1180 / – वस्तु एवं सेवा कर सहित (अप्रतिदेय) (डिमाण्ड ड्राफ्ट) (डिमाण्ड डाफ्ट, आर0 एस0 एम0 एम0 लि0, जोधपुर के नाम देय हो)	कार्य अवधि 2 वर्ष अनुमानित लागत (रु0) 23.70 लाख
ई–निविदा प्रक्रिया शुल्क	रूपये 500 / – का डिमाण्ड ड्राफ्ट जो कि एम.डी., आर.आई.एस.एल., जयपुर के नाम देय हो।		
ई–निविदा खोलने की तिथि	दिनांक 25.03.2020 अपरान्ह 3.30 बजें		
सम्पर्क अधिकारी–वरि. प्रबन्धक (अनुबन्ध)	दूरभाष–(0291) 2511031, E-Mail: contlsu.rsmml@rajasthan.gov.in		
विस्तृत निविदा सूचना तथा अन्य शर्ते website- www.rsmm.com, www.sppp.rajasthan.gov.in, व www.eproc.rajasthan.gov.in, पर देखी जा सकती है।निविदा प्रपत्र वेबसाईट से भी डाउनलोड किया जा सकता है ।			

निविदा प्रस्तुत करने हेतु पात्रता

" निविदा कर्ता को राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948, वस्तु एवं सेवाकर (जी.एस.टी.), आयकर (पेन नम्बर), राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम, 1958 या इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट, 1932 के अन्तर्गत या इण्डियन कम्पनी एक्ट, 1956 के अन्तर्गत पंजीकृत होना अनिवार्य है एवं **विगत तीन वर्षो (क्रमशः 2016–2017, 2017–18, एवं 2018–19) में से किसी भी एक वर्ष में स्वयं की अथवा साझेदार फर्म की टर्न ओवर कम से कम रूपये पांच लाख तरानवे हजार (रू. 5.93 लाख) होना चाहिये।"**

निविदा ऑनलाईन भरी जावेगी। टेंडर फीस व प्रोसेसींग फीस किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं दी जायेगी।ई–निविदा प्रस्ताव के आवश्यक मापदण्ड बयाना राशि, निविदा प्रपत्र का मूल्य एवं निविदा प्रक्रिया शुल्क का डिमाण्ड ड्राफ्ट जोधपुर स्थित कार्यालय में निविदा अपलोड करने की नियत तिथि व समय पर या उससे पूर्व भौतिक रूप से सीलबन्द लिफाफे में जमा कराने होंगे इसके बिना ऑनलाइन भरी गई निविदा मान्य नहीं होगी। निविदाकर्ता से अनुरोध है कि वह https://eproc.rajasthan.gov.in, वेबसाईट पर दी गई जानकारियों को पढ़ें तथा उनको समझ कर ऑनलाईन निविदा उसी के अनुसार भरें। इच्छुक व्यक्ति / कम्पनी / संस्था को निविदायें अहस्तान्तरणीय मूल्य / दर भाग में प्रस्तुत करनी होगी। प्राप्त निविदाओं को उपरोक्तानुसार तिथि को अपरान्ह 3.30 बजे संस्थान के कार्यालय, जोधपुर में खोली जायेगी। प्रबन्धन बिना कोई कारण बताये निविदाओं को आंशिक या पूर्ण रूप से निरस्त कर सकता है। फैक्स द्वारा भिजवाई गई निविदायें मान्य नहीं होगी ।

जिन निविदाकर्ताओं को कंपनी द्वारा प्रतिबंधित / निलंबित कर दिया गया हो वो प्रतिबंध और निलंबन अवधि के दौरान निविदा में भाग लेने के लिये पात्र नही होंगे ।

महाप्रबन्धक (लाईम स्टोन)
एस.बी.यू.एण्ड पी.सी.–लाईम स्टोन

निविदा प्रपत्र

1.00 परिभाषा

इस निविदा में दिये गये निम्नलिखित शब्दों का अर्थ इस प्रकार से है :

1.1 ''आरएसएमएमएल'' या कंपनी का अर्थ राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड से है जिसका पजीकृत कार्यालय सी–89–90, लाल कोठी स्कीम, जयपुर–302015, राजस्थान है और कारपोरेट कार्यालय 4– मीरॉ मार्ग, उदयपुर – राजस्थान है।

1.2. अनुबंधकर्ता : अनुबंध के अर्न्तगत व्यक्ति या व्यक्तियों, फर्म अथवा कंपनी जिसका निविदा आरएसएमएमएल ने स्वीकृत कर लिया है और अनुबंधकर्ता की परिभाषा में अनुबंधकर्ता के वैधानिक प्रतिनिधि, प्रषासक, उत्तराधिकारी और एक्जीक्यूटर को भी सम्मिलित किया गया है ।

1.3 वैधानिक दायित्व : खान/कार्य क्षैत्र से संबंधित मौजुदा कानूनों के अर्न्तगत आने वाले वैधानिक दायित्वों से है ।

1.4 स्वीकृति का अर्थ है कम्पनी/इन्जिनियर इन्चार्ज/ऑफिसर इन्चार्ज द्वारा लिखित में अनुमोदन करने से है ।

1.5 प्राधिकरण अधिकारी : प्राधिकरण अधिकारी से तात्पर्य कंपनी के प्रबंध निदेशक से है।

1.6 प्रबंध निदेशक : प्रबंध निदेशक का अर्थ है आरएसएमएमएल के प्रबंध निदेशक से है ।

1.7 अनुंबंध : अनुबंध का अर्थ है कार्य को निष्पादित करने हेतु कंपनी और अनुबंधकर्ता के मध्य हुए एग्रीमेन्ट से है । इसमें सारे दस्तावेज जैसे अनुबंधकर्ता को आमंत्रित करने हेतु आमंत्रण पत्र, अनुबंधकर्ता को दिये गये निर्देश, अनुबंध की सामान्य स्थिति, अनुबंध की विशेष स्थिति, कार्यक्षेत्र, सामान्य आवष्यकताऐं, कार्यावधि, कार्यादेश जारी करने हेतु लेटर ऑफ इन्टेन्ट, ईमेल/फैक्स आदि को भी सम्मिलित किया गया है ।

1.8 अनुबन्ध दर व अनुसूची दर व निविदा दर व पारिश्रमिक की दर : का अर्थ निविदादाता द्वारा निविदा मे वर्णित शब्दों और अंकों में भरी गई दर से है और जिसे कंपनी ने अनुबंध और अनुबन्ध में आने वाले सभी दायित्वों का अनुबन्धकर्ता के द्वारा निष्पादन हेतु स्वीकृत किया है ।

1.9 आफिसर इन्चार्ज का अर्थ : कंपनी का नामित अधिकारी जो इस कार्य का समग्र पर्यवेक्षण, समन्वय, निर्देषन और समय–समय पर, इस कार्य हेतु प्रषासन करेगा, से है।

1.10 समूह महाप्रबन्धक (संविदा) : का अर्थ है आरएसएमएमएल संविदा विभाग के समूह महाप्रबंधक संविदा से या कंपनी द्वारा नामित अधिकारी जो आफिस में समूह महा प्रबंधक – संविदा का उतराधिकारी हो को शामिल किया गया है ।

1.11 समूह महा प्रबंधक (एल.एस.) : का अर्थ है समूह महा प्रबंधक जोधपुर लाईमस्टोन, आरएसएमएमएएल या कंपनी द्वारा नामित अधिकारी जो आफिस में समूह महाप्रबंधक (एल.एस.) का उतराधिकारी हो को शामिल किया गया है ।

1.12 एजेन्ट : आरएसएमएमएल, सानू लाईमस्टोन माइंस में खान अधिनियम के तहत नामित अधिकारी ।

1.13 खान प्रबन्धक : आरएसएमएमएल, सानू लाईमस्टोन माइंस में खान अधिनियम के तहत नामित माईनिंग अभियन्ता।

1.14 LOA /DLOA : से तात्पर्य निविदादाता को लेटर/ईमैल/ फेक्स द्वारा सूचना देने से है, कि निविदादाता की निविदा कंपनी द्वारा स्वीकृत कर ली गई है । यह स्वीकृति लेटर ईमेल/फैक्स में दिये गये प्रावधान अनुसार है ।

1.15 लिखित सूचना : पंजीकृत डाक द्वारा निविदादाता के अन्तिम ज्ञात व्यावसायिक प्रतिष्ठान के पते पर रजिस्टर्ड़/हेड/लोकल ऑफिस के पते पर भेजने से है ।

1.16 कार्यक्षेत्र /साईट का अर्थ भूमि या अन्य स्थान से हैं, जहॉ निविदादाता को कंपनी द्वारा दिया गया कार्य, कार्यादेष अनुसार करने से है ।

1.17 टेण्डर : NIT की एवज में निविदादाता द्वारा दी गई निविदा, बाद में किये गये विचार विमर्श, वार्तालाप, जो कंपनी और निविदादाता के बीच में हुआ है को सम्मिलित किया जायेगा ।

अनुभाग – द्वितीय

निविदाकर्ता के लिए सामान्य शर्तें एवं निर्देश :

2. निविदा प्रपत्र को भरना

2.0 निविदाकर्ता अपनी निविदा राजस्थान सरकार की वेबसाईट http://eproc.rajasthan.gov.in पर इलेक्ट्रोनिक माध्यम से ऑनलाइन ही प्रस्तुत कर सकते हैं। अन्य किसी माध्यम से निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।

2.1 निविदाकर्ता इस विषय की विस्तृत जानकारी उपरोक्त वेबसाइट पर दिये गये लिंक पर दी गई जानकारी से इस प्रक्रिया के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

2.2 इरूछुक निविदाकर्ता को स्वयं को उपरोक्त ई–निविदा पोर्टल पर पंजीकृत कराना आवश्यक होगा। तत्पश्चात् ही ई–निविदा को आनलाइन भरने के लिए पात्र होगा।

2.3 इच्छुक निविदाकर्ता के पास ई–निविदा प्रक्रिया को सम्पादित करने के लिए भारत सरकार के आई टी एक्ट–2000 के प्रावधानों के तहत डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण–पत्र होना आवश्यक है एवं ई–निविदा के सभी दस्तावेज आदि डिजिटली हस्ताक्षरित करने होंगे। जिसके बगैर उपरोक्त निविदा प्रक्रिया स्वीकृत नहीं होगी।

2.4 डाउनलोड किये गये ई–निविदा प्रपत्र में किसी भी प्रकार का संशोधन, निविदाकर्ता द्वारा नहीं किया जावेगा एवं उल्लंघन की स्थित में ऐसी निविदा को निरस्त माना जायेगा।

2.5 निविदा का सम्पूर्ण विवरण एवं प्रपत्र उपरोक्त वेबसाईट पर अपलोड कर दिया गया है जिसको निविदाकर्ता द्वारा डाउनलोड किया जावेगा।

2.6 निविदाकर्ता द्वारा सभी संलग्न दस्तावेज तथा निविदा प्रपत्र स्वयं द्वारा हस्ताक्षरित, मोहरबन्द किये जाना आवश्यक है। तत्पश्चात् उपरोक्त समस्त दस्तावेजों व निविदा प्रपत्र को डिजिटली हस्ताक्षरित कर संबंधित वेबसाईट पर आनलाईन अपलोड करना है।

2.7 उपरोक्त दस्तावेजों के साथ में ई–निविदा प्रपत्र शुल्क, ई–निविदा प्रक्रिया शुल्क तथा धरोहर राशि की स्कैन कॉपी को भी अपने ई–निविदा प्रस्ताव के साथ अपलोड करना आवष्यक है। उपरोक्त तीनों शुल्कों के बारे में विवरण अथवा डी.डी. की स्कैन कॉपी अपलोड न करने पर ई–निविदा मान्य नहीं होगी।

2.8 उपरोक्त तीनों शुल्क तथा निविदा प्रपत्र की पत्रता के अनुसार तीनों वांछित मूल शपथ पत्र को समूह महाप्रबन्धक (लाईमस्टोन) जोधपुर कार्यालय मे, ऑनलाइन निविदा अपलोड करने की नियत तिथि व समय पर या उससे पूर्व, प्रस्तुत करना होगा। इन प्रपत्रों के ऊपर निविदाकर्ता अपना नाम, पता, टेलीफोन नम्बर तथा निविदा संख्या एवं कार्य का विवरण साफ–साफ अक्षरों में अंकित करेगा। निविदा प्रपत्र नियत समय पर प्रस्तुत न करने की अवस्था में किसी भी प्रकार का विलम्ब होने पर निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।

2.9 ई–निविदा प्रक्रिया शुल्क इस निविदा के लिये रूपये 500/– निर्धारित है जो कि एम0डी0, आर0आई0एस0एल0 जयपुर के नाम देय होगी। निविदा प्रपत्र का मूल्य तथा निर्धारित धरोहर राशि डी0 डी0 आर0एस0एम0एम0एल0, जोधपुर के पक्ष में देय होगी।

2.10 ई–निविदा पोर्टल http://eproc.rajasthan.gov.in निविदा प्रस्ताव से संबंधित सभी प्रक्रिया के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तकनीकी प्रस्ताव फार्म और मूल्य (दर) प्रस्ताव फार्म डाउनलोड करने के लिए निर्धारित प्रारूप में उपलब्ध हो जाएगा। पंजीकृत बोलीदाता ई–टेंडर प्रणाली में लॉग इन करें और बोली फार्म डाउनलोड कर सकते हैं।

2.11 प्रत्येक निविदाकर्ता केवल एक ही निविदा प्रस्तुत करेगा, या तो व्यक्तिगत रूप से या एक साझेदारी फर्म या एक निजी रूप/ पब्लिक लिमिटेड कम्पनी या एक सहकारी समिति।

2.12 निविदाकर्ता को अपने स्वयं के हित में निविदा दस्तावेज पूरी तरह से और ध्यान से पढ़ने के लिए सलाह दी जाती है।

2.13 निविदाकर्ता द्वारा स्थान एवं परिसर आदि का निविदा प्रपत्र भरने से पूर्व स्वयं को पूर्ण रूप से आश्वस्त कर लेना चाहिये तथा इस संबंध में यदि कोई जानकारी चाहिये तो वरिश्ठ प्रबन्धक (अनुबन्ध) से प्राप्त कर सकते हैं। निविदा प्रपत्र खोलने के बाद किसी भी प्रकार की अनभिज्ञता एवं आपत्ति/संशोधन स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस निविदा के तहत कार्य की दरों के संबंध में प्राप्त निविदा–दरों को ही अन्तिम माना जाऐगा एवं निविदा–दरों में किसी प्रकार का नेगोसियोषन मान्य नहीं होगा।

2.14 राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 के सभी प्रावधान इस निविदा पर लागू होते हैं ।

2.15 कम्पनी देरी, हानि या पोस्ट/कूरियर सेवा के माध्यम से भेजा आवश्यक दस्तावेज न मिलने के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं लेती है।

2.16 ई–निविदा निर्धारित तिथि को 3.30 बजें अपरान्ह जोधपुर स्थित कार्यालय में खोला जाएगा।

2.17 निविदा दो भागों में भरनी होगी, जो कि निम्न प्रकार से हैः–

- प्रथम भाग – तकनीकी वाणिज्यिक (Techno commercial Part)
- द्वितीय भाग – कार्य की दरें (Rate Part)

ई–निविदा का प्रथम तकनीकी–वाणिज्यिक भाग निर्धारित तिथि को 3.30 बजें अपरान्ह जोधपुर स्थित कार्यालय में खोला जाएगा। कम्पनी को ऑनलाइन प्राप्त निविदाओं के तकनीकी वाणिज्यिक भाग का परीक्षण किया जाकर तथा इसमें न्यूनतम पात्रता वाले योग्य निविदाकर्ताओं को सूचीबद्ध किया जायेगा । ऐसी सूचीबद्ध सफल निविदाकर्ताओं का ही द्वितीय भाग (कार्य की दरों से संबंधित) खोला जाएगा। योग्य निविदाकर्ताओं को द्वितीय भाग खोलने की तिथि के बारे में अलग से पत्राचार या अन्य माध्यम से अवगत करा दिया जाएगा ।

2.18 <u>प्रथम तकनीकी – वाणिज्यिक भाग</u>

इसमें निविदाकर्ताओं को निम्न दस्तावेज ऑनलाइन प्रस्तुत करने आवश्यक हैंः–

2.19 <u>निविदाकर्ता के संबंध में :</u>

2-19.1 निविदाकर्ता का नाम, पता, टेलिफोन नं0 इत्यादि की जानकारी प्रारूप परिशिष्ट–1 में संलग्न करना आवश्यक है। पेनकार्ड, गुड्स एण्ड सर्विस टैक्स व एमएसएमईडी रजिस्ट्रेशन (एमएसएमईडी एक्ट 2006–यदि लागू हो तो) से संबंधित सत्यापित दस्तावेज की फोटो प्रति।

2-19.2 निविदा कर्ता को राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948, वस्तु एवं सेवाकर (जी.एस.टी.), आयकर (पेन नम्बर), राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम, 1958 या इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट, 1932 के अन्तर्गत या इण्डियन कम्पनी एक्ट, 1956 के अन्तर्गत पंजीकृत होना अनिवार्य है निविदाकर्ता को कम से कम रूपये पांच लाख तरानवे हजार (रू. 5.93 लाख) का कारोबार तीन वर्षो (क्रमशः 2016–2017, 2017–18, एवं

2018–19, में से किसी एक वर्ष में कारोबार किये जाने का प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक है। इसके पक्ष में चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा सत्यापित दस्तावेज (बेलेन्स शीट, टीडीएस सर्टिफिकेट, इन्कम टैक्स रिटर्न इत्यादि) संलग्न करना आवश्यक है ।

2-19.3 वांछित धरोहर राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट।

2-19.4 निविदा प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर निविदाकर्ता के हस्ताक्षर मय मोहर होने चाहिए।

2-19.5 अपूर्ण, अस्पष्ट, अपाठ्य तथा शर्तों के साथ भरी गई निविदा स्वीकृत नहीं की जायेगी।

2-19.6 भविष्य निधि खाता संख्या की प्रति प्रारूप परिशिष्ट–1 के साथ संलग्न करें या अण्डरटेकींग दें एनेक्सर (Annexure-I) प्रथम के आधार पर ।

2-19.7 निविदाकर्ता द्वारा स्थान परिसर एवं कार्य आदि का विवरण निविदा भरने से पूर्व स्वयं को पूर्ण रूप से आश्वस्त कर लेना चाहिये कि उसने निविदा की सभी शर्ते, प्रतिबन्ध तथा अन्य समस्त बातें अच्छी तरह समझ ली है। तत्पश्चात् निविदाकर्ता का कोई भी अतिरिक्त भुगतान का दावा इस बहाने मान्य नहीं होगा कि निविदा का कोई विशेष बिन्दु उसे स्पष्ट नहीं था। निविदा प्रपत्र खोलने के बाद किसी भी प्रकार की अनभिज्ञता एवं आपत्ति/संशोधन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

2-19.8 राजस्थान लोक उपापन में पारदर्षिता अधिनियम, 2012 एवम् राजस्थान लोक उपापन में पारदर्षिता नियम, 2013 की अनुपालना में निविदा प्रपत्र में निम्न ऐनेक्सर्स संलग्न किए हैं:–

Annexure-A:	Compliance with the code of Integrity and No Conflict of Interest.
Annexure-B:	Declaration by the Bidder regarding Qualifiations.
Annexure-C:	Grievance Redressal during Procurement process & form No. 1.
Annexure-D:	Additional Conditions of Contract.

नोट: Annexure-B में निविदाकर्ता द्वारा घोशणा किया जाना आवष्यक है।

2.20 कम्पनी को यह सम्पूर्ण अधिकार होगा कि वह किसी भी निविदा को पूर्ण अथवा आंशिक रूप से बिना कोई कारण बताये अस्वीकार कर दे अथवा समस्त निविदाओं को ही अस्वीकृत कर दें। साथ ही कम्पनी पर यह कोई बन्धन नहीं होगा कि वह न्यूनतम दर वाली निविदा को स्वीकार न करने का कोई कारण स्पष्ट करे।

2.21 कार्य की दरें (वस्तु एवं सेवा कर रहित) निर्धारित प्रारूप में ऑनलाइन भरनी हैं। निविदाकर्ता अपनी प्रस्तावित दरें पोर्टल पर उपलब्ध निविदा के प्रारूप परिशिष्ट– 3/BOQ फार्म में ही भरें। स्वीकृत की गई कार्य करने की दर संपूर्ण अनुबन्ध अवधि के दौरान अपरिवर्तनीय रहेगी।

2.22 राजस्थान सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.04.2018 में उल्लेखित राजस्थान लोक उपानन पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं राजस्थान लोक उपानन नियम, 2013 के अन्तर्गत मानव संसाधन की सेवाओं के उपापनों के संबंध में दिये गये दिशानिर्देश भी प्रभावशाली होंगे एवं परिपत्र दिनांक 30.04.2018 एवं 11.07.2018 इस निविदा का भाग रहेगा ।

2.23 वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 28.01.2014 व वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग दिशानिर्देशों दिनांक 17.09.2014 इस निविदा का भाग रहेंगे ।

2.24 कार्य की दरें (Price Offer/BOQ) :

i. कार्य की दरें ऑन–लाईन भरनी है। निविदाकर्ता अपनी प्रस्तावित दरें पोर्टल पर उपलब्ध निविदा के BOQ फार्म में ही भरें। वर्तमान में श्रमिकों को देय न्यूनतम मजदूरी श्रम विभाग

के आदेश संख्या F . NO 1 /36 (1)/2019-LS-II दिनांक 23 .09 .2019 के आधार पर देय हैं।

ii. द्वितीय भाग कार्य की दरें ऑन लाईन निविदा भरने का प्रफॉर्मा (BOQ) के अनुसार है । निविदाकर्ता BOQ को वेबसाईट से डाउनलोड कर अपनी दर प्रस्ताव के कॉलम 7 को भरने के पश्चात अपलोड करेगा जिसमें निविदादाता को सेवा शुल्क न्यूनतम मजदूरी को आधार मानते हुए प्रतिशत (%) में भरकर अपलोड करना होगा । किसी भी स्थिति में निविदाकर्ता द्वारा दिये गये सेम्पल दर प्रस्ताव फोरमेट (जो कि मात्र निविदाकर्ता की जानकारी हेतु संलग्न किया गया है) में दर इंगित करना निषेध है । इस स्थिति में निविदा निरस्त मानी जावेगी ।

iii. दर प्रस्ताव में निविदाकर्ता को सेवा शुल्क शून्य प्रतिशत से अधिक भरना आवश्यक है, शून्य प्रतिशत में 0.9999 तक के सभी व्युत्पन्न शामिल है और सेवा शुल्क के सम्बन्ध में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग दिशानिर्देशों के आदेश संख्या 31/14/1000/2014–GA दिनांक 17/09/2014 की अक्षरशः पालना नही होने पर उसे गैर जिम्मेदार मानते हुए ऐसे दर प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा ।

iv. निविदाकर्ता कार्य की दरें प्रथम भाग या किसी अन्य लिफाफे में या अन्य माध्यम से प्रस्तुत नहीं करें । ऐसे प्रस्ताव मान्य नहीं होंगे तथा निविदाकर्ता यदि अपनी दरें निविदा के किसी भाग में इंगित करता है तो इस अवस्था में इस निविदाकर्ता को स्वतः ही निरस्त माना जावेगा ।

v. प्रथम तकनीकी वाणिज्यिक भाग में सफल निविदाकारों को सूचीबद्ध किया जावेगा एवं मात्र सफल सूचीबद्ध निविदाओं का ही द्वितीय भाग (कार्य की दरों से सम्बन्धित) खोला जायेगा । सफल निविदाकारों को द्वितीय भाग खोलने की तिथि के बारे में अलग से अवगत करा दिया जायेगा ।

2.25 न्यूनतम निविदा दर का निर्धारणः– सफल निविदाकारों के दर प्रस्ताव का कम्पनी द्वारा मूल्यांकन किया जावेगा । न्यूनतम दर का निर्धारण निविदाकारों के न्यूनतम प्रस्ताव (L1) को कम्पनी द्वारा स्वीकार किया जायेगा तथा जिस निविदाकार का दर प्रस्ताव प्रारुप परिशिष्ठ–3/BOQ में मासिक आधार पर न्यूनतम होगा उसी को ही कम्पनी द्वारा इस निविदा का कार्य आदेश जारी किया जावेगा।

2.26 नेगोशियेशन :–

2-26.1 कम्पनी द्वारा केवल न्यूनतम दर प्रस्ताव (L_1) देने वाले निविदाकर्ता से नेगोशियेशन किया जा सकता है। न्यूनतम दर प्रस्ताव देने वाले निविदाकर्ता के दर प्रस्ताव को उपयुक्त न पाने की अवस्था में कम्पनी प्रबन्धन लिखित काउन्टर ऑफर द्वारा न्यूनतम निविदाकर्ता को अपना प्रस्ताव देने पर विचार कर सकती है और यदि यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जाता है तो कम्पनी या तो निविदा प्रक्रिया को निरस्त कर पुनः निविदा आमंत्रित करेगी अथवा उसी काउन्टर आफर को द्वितीय न्यूनतम दर प्रस्ताव देने वाले निविदाकर्ता (L_2) को तत्पश्चात् तृतीय न्यूनतम दर प्रस्ताव देने वाले निविदाकर्ता (L_3) को एवं दर प्रस्ताव प्रक्रिया के उपरोक्त क्रमानुसार दिया जावेगा । जो भी निविदाकर्ता इस प्रक्रिया के अनुसार काउन्टर आफर स्वीकार करेगा उसे कार्य आदेश कम्पनी द्वारा जारी किया जा सकता हे।

2-26.2 अगर निविदाकर्ता द्वारा नेगोशियेशन के दौरान दिया हुआ प्रस्ताव उसके प्रारम्भिक दर प्रस्ताव से अधिक है तब भी निविदाकर्ता पूर्व में भरी हुई कम दर प्रस्ताव पर कार्य करने हेतु बाध्य होर्गा

2-26.3 नेगोशियेशन के दौरान निविदाकर्ता के प्रतिनिधि को निविदाकर्ता द्वारा लिखित सहमति / अधिकार पत्र (written authority) प्रस्तुत करना होगा जिसमें कि यह स्पश्ट वर्णित होगा कि उसका प्रतिनिधि निविदा प्रपत्र में भरी हुई दर प्रस्ताव को संशोधित /बदलने के लिए प्राधिकृत है। इसमें निविदाकर्ता को किसी प्रकार का उज्र नहीं होगा।

2.27 निविदाकर्ता की ऑफर, निविदा खोलने की तिथि से 120 दिन तक वैद्य मानी जायेगी, इस समय सीमा में निविदाकर्ता निविदा को न तो रद्द कर सकता न ही वापस ले सकता है तथा न ही इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन कर सकता है। ऐसा करने पर निविदाकर्ता की धरोहर राशि (अर्नेस्ट मनी) जब्त कर ली जावेगी।

2.28 **धरोहर राशि (अर्नेस्ट मनी) निविदाकर्ता** को निविदा के साथ 47, 400/– रूपये की राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट धरोहर राशि के रूप में, जो कि आर0 एस0 एम0 एम0 लि0, जोधपुर के नाम से देय हो जमा कराने होंगे, जिस पर किसी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा। बिना धरोहर राशि निविदा स्वीकृत नहीं की जायेगी। असफल निविदाकर्ताओं की धरोहर राशि, सफल निविदाकर्ता को कार्य आदेश जारी होने के पश्चात लौटा दी जायेगी तथा इस राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा । सफल निविदाकर्तों की धरोहर राशि को अमानत राशि में समायोजित किया जा सकेगा ।

2.29 निम्नलिखित कारणों/दषाओं में धरोहर राशि को जब्त कर लिया जायेगा :

- अगर निविदादाता, निविदा को, निविदा की वैधता अवधि में संशोधित या निरस्त करता है, तब ।
- अगर निर्धारित समयावधि में निविदादाता द्वारा अमानत राशि जमा नहीं की जाती है ।
- अगर निर्धारित समयावधि में निविदादाता द्वारा निर्धारित प्रारुप में एग्रीमेन्ट नहीं किया है तब अगर निविदादाता द्वारा निविदा में कोई गलत सूचना/ गलत दस्तावेज/गलत सत्यापन दस्तावेजों का किया है तो ।
- अगर निविदादाता द्वारा निर्धारित समायावधि में कार्य शुरु नहीं किया जाता है या कंपनी द्वारा दिये गये ऑफर को स्वीकार नहीं किया है या स्वीकार करने के बाद निर्धारित समायावधि में कार्य शुरु नहीं किया है तो।

3.0 <u>कार्यक्षेत्र एवं कार्य का विवरण :</u>

राजस्थान स्टेट माईन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड की सानु लाईमस्टोन माईन्स, जैसलमेर–रामगढ़ रोड़ पर जैसलमेर से लगभग 53 किमी. दूरी पर स्थित है।

<u>कार्य</u> : खान पर प्रतिदिन न्यूनतम 8 अकुशल श्रमिक लगाना। श्रमिकों द्वारा निम्न लिखित कार्य सम्पन्न कराना होगा । अनुबंधकर्ता को कम्पनी की आवश्यकतानुसार उक्त कार्य को सम्पन्न कराने हेतु अतिरिक्त श्रमिक भी उपलब्ध करवाना होगा जिसका भुगतान स्वीकृत की गई कार्य दर से किया जायेगा।

<u>वृक्षारोपण से सम्बन्धित कार्य:</u> खान क्षेत्र में समय–समय पर कम्पनी की आवश्यकतानुसार पौधारोपण कार्य, नये तथा पुराने पौधों को नियमितरुप से पानी पिलाना एवं उनकी सुरक्षा से

सम्बन्धित कार्य करना इत्यादि । पौधें, पानी, खाद–बीज इत्यादि कम्पनी द्वारा उपलब्ध कराये जायेंगे।

अन्य विविध कार्य : ओवर हेड टैंक (सिन्टेक्स), अण्डरग्राउन्ड वाटर स्टोरेज टैंक, वाटर कूलर, वाटर फिल्टर, व केन्टीन टैंक (सिन्टेक्स) व ओवर हेड वाटर टैंक (वे ब्रिज नं. 2 के पास) का मरम्मत एवं सफाई कार्य तथा खान में लगे सभी तुला यंत्रों के सफाई का कार्य प्रति/वार/माह व प्रशासन विभाग अथवा अन्य अधिकृत अधिकारी द्वारा बताये अनुसार सफाई कार्य इत्यादि करना ।

क्र.संख्या	कार्य का विवरण	सफाई आवर्ती	संख्या/मात्रा
1	ओवरहेड टैंक (सिन्टेक्स) क्षमता 20,000 ली. की सफाई	माह में एक बार	एक टैंक
2	अन्डरग्राउन्ड वाटर स्टोरेज टैंक की सफाई	माह में एक बार	एक टैक
3	केन्टीन टैंक (सिन्टेक्स) क्षमता 5,00 ली. की सफाई	माह में दो बार	दो टैक
4	ओवर हेड टैंक (वे–ब्रीज नं. 2 के पास) क्षमता 1,00,000 की सफाई	तीन माह में एक बार	एक टैक
5	वाटर कूलर	प्रति सप्ताह	तीन वाटर कूलर
6	वाटर फिल्टर	सप्ताह में तीन बार	तीन वाटर फिल्टर
7	तुला यंत्रों के प्लेट फार्म के उपर की सफाई	सप्ताह में एक बार	चार तुला यंत्र
8	तुला यंत्रों के प्लेट फार्म के अन्दर की सफाई	तीन माह में एक बार	चार तुला यंत्र

कार्य से संबंधित विशेष शर्ते एवं प्रतिबन्ध :–

3.1 जिस निविदाकर्त्ता की निविदा स्वीकृत की जाती है उसे अनुबन्ध के अन्तर्गत कार्य संपादन करना होगा।

3.2 प्रत्येक कार्य दिवस पर अनुबन्धकर्ता का कोई अधिकृत प्रतिनिधि अथवा सुपरवाईजर खान पर उपलब्ध होना चाहिए जो कि प्रभारी अधिकारी से कार्य संबंधित निर्देश प्राप्त कर सके तथा सुचारू रूप से कार्य संपादित करवा सके। प्रत्येक कार्य दिवस पर न्यूनतम 8 अकुशल श्रमिक कार्य के लिए उपलब्ध रहने चाहिए एवं आवश्यकता होने पर अतिरिक्त श्रमिक भी उपलब्ध कराने होंगे।

3.3 कार्य पर लगाये गये व्यक्तियों का पूर्ण विवरण खान प्रबंधक कार्यालय में रखे बी रजिस्टर में, इन्द्राज करवाना होगा।

3.4 18 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को कार्य पर नहीं लगायेंगे।

3.5 कार्य पर लगाये गये व्यक्तियों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा का संपूर्ण दायित्व निविदाकर्त्ता का स्वयं का होगा तथा किसी भी प्रकार के क्षतिपूर्ति दावों के भुगतान की जिम्मेदारी भी उसी की होगी तथा उसे स्वयं के खर्च पर ही उन्हें समस्त आवश्यक सुरक्षा उपकरण भी उपलब्ध कराने होगे।

3.6 वर्षा ऋतु/मानसून के दौरान आवश्यकतानुसार प्रतिदिन खान प्रबन्धक/प्रभारी अधिकारी के निर्देशानुसार अतिरिक्त श्रमिक भी कार्य पर लगाने होंगे ।

3.7 निविदाकर्त्ता के लिये यह आवश्यक होगा कि वह कार्य पर लगाये गये प्रत्येक मजदूर को भारत सरकार द्वारा निर्धारित अकुशल श्रमिकों हेतु देय न्युनतम मजदूरी का भुगतान अदा करें । ऐसा नहीं करने पर वास्तविक भुगतान व न्युनतम मजदूरी के भुगतान का अंतर कम्पनी द्वारा किया जा कर निविदाकर्त्ता के मासिक बिल से वसूल किया जा सकेगा ।

3.8 **निविदाकर्ता के विशेष दायित्व (राज्य सरकार के परिपत्र एफ.2(1)वित्त/एसपीएफसी/2017 दिनांक 30.04.2018 के अनुसार) :–**

(i) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (केंद्रीय अधिनियम 11, वर्ष 1948) के वैधानिक प्रावधानों की अनुपालना का दायित्व संबंधित संवेदक का होगा।

(ii) राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 एवं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत नियमानुसार पंजीकृत संवेदक ही उक्त प्रकार की बोली में भाग लेने हेतु अर्हत होंगे। पंजीकरण प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि पूर्ण रूप से भरे हुए बोली दस्तावेज के साथ संबंधित उपापन संस्था (आर.एस.एम.एम.एल.) को प्रस्तुत की जायेगी।

(iii) यदि किसी उपापन संस्था (आर.एस.एम.एम.एल.) को अंशकालिक (पार्ट टाईम) मानव संसाधन की सेवाओं की 4 घण्टे से कम अवधि के लिये आवश्यकता हो तो ऐसी अंशकालिक सेवा का बोली दस्तावेजों में स्पष्ट उल्लेख करते हुए संबंधित उपापन संस्था (आर.एस.एम.एम.एल.) द्वारा बिड संबंधी कार्यवाही की जावेगी। ऐसे अंशकालिक मानव संसाधन जिनकी सेवाएं 4 घण्टे से कम अवधि के लिए ली जायेगी उन्हें उनकी सेवाओं के विरूद्ध न्यूनतम मजदूरी की गणना श्रम विभाग द्वारा समय–समय पर निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की 50 प्रतिशत राशि पर की जावेगी।

(iv) संवेदक द्वारा नियोजित श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान अनिवार्य रूप से उनके बैंक खातों में ही किया जायेगा। संबंधित संवेदक द्वारा नियोजित श्रमिकों के बैंक खाते में जमा कराई गई राशि का विवरण संबंधित उपापन संस्था (आर.एस.एम.एम.एल.) को आगामी माह के मासिक बिल के साथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जायेगा। श्रमिकों के बैंक खातों में जमा कराई गई राशि के विवरण बाबत् उपापन संस्था (आर.एस.एम. एम.एल.) की संतुष्टि होने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल का भुगतान किया जायेगा।

(v) श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर के अनुसार श्रमिकों को मजदूरी के भुगतान करने का दायित्व संबंधित संवेदक का होगा।

(vi) श्रमिकों को निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने के लिये संविदा अवधि के दौरान न्यूनतम मजदूरी दर में श्रम विभाग की अधिसूचना से समय–समय पर वृद्धि होने पर उपापन संस्था (आर.एस.एम.एम.एल.) द्वारा संवेदक को बढ़ी न्यूनतम मजदूरी की सीमा तक अन्तर राशि का भुगतान किया जा सकेगा।

(vii) संवेदक को राज्य/केन्द्र सरकार की नवीनतम दरों के अनुसार अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. जमा कराना होगा, जिसमें नियोजित श्रमिकों की मजदूरी राशि से कटौती और संवेदक को अंशदान शामिल होगा। संवेदक द्वारा अपने आगामी माह के बिल के साथ गत माह के पेटे श्रमिकों के ई.पी.एफ. और ई.एस. आई. के अंशदान की राशि नियमानुसार जमा कराये जाने की पुष्टि में संबंधित चालान की प्रति प्रस्तुत किए जाने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल/बिलों का भुगतान किया जावेगा।

(viii) संवेदक द्वारा प्रत्येक कार्य स्थल पर क्पेचसंल ठवंतके लगाये जायेंगे, जिन पर संवेदक का नाम, संविदा अवधि, कार्य की प्रगति, श्रमिकों हेतु हैल्पलाईन नम्बर एवं संवेदक द्वारा न्यूनतम मजदूरी भुगतान नहीं करने की शिकायत करने संबंधी प्रावधान का

विवरण स्पष्ट रूप से अंकित किया जाऐगा।

(ix) राज्य में लागू श्रम नियमों के अन्तर्गत अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. की राशि जमा कराने का दायित्व संवेदक का होगा।

(x) संवेदक द्वारा श्रमिकों को देय राशि पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की राशि अतिरिक्त रूप से देय होगी। सभी प्रकार के करों को जमा करवाने की जिम्मेदारी संवेदक की ही होगी। संवेदक द्वारा गत माह में जमा कराये गये वस्तुत एवं सेवा कर (जीएसटी) के चालान की प्रति आगामी माह के बिल के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की राशि जमा कराने के प्रमाण स्वरूप चालान की प्रति प्रस्तुत नहीं किये जाने पर आगामी माह के बिल में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) का भुगतान नहीं किया जायेगा। उक्त स्थिति में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के दायित्वों के निर्वहन का उत्तरदायित्व संवेदक का होगा।

(xi) श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों व अधिसूचनाओं तथा केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये दिशा–निर्देशों की पालना करने का दायित्व संवेदक का ही होगा। श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों, अधिसूचनाओं, दिशा–निर्देशों आदि की पालना नहीं करने की स्थिति में उसके परिणामों/दायित्वों के लिये संवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।

(xii) यदि संवेदक एवं कार्य पर लगाये गये श्रमिकों के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसकी प्रबन्धकीय जिम्मेदारी संवेदक की होगी। इसके लिये उपापन संस्था (आर.एस.एम.एम.एल.) का सक्षम प्राधिकारी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 एवं राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 का उचित प्रकार से तथा निष्ठापूर्वक पालन करने के लिए उत्तरदायी होगा।

(xiii) नियोजित श्रमिकों को 240 दिवस पूर्ण कर लिये जाने पर औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1974 में निहित प्रावधानों के अनुसार श्रम नियोजित श्रमिकों को हटाने, कार्यमुक्त करने नोटिस वेतन, छंटनी, मुआवजा आदि देने का समस्त उत्तरदायित्व संवेदक का होगा।

(xiv) कार्य सम्पादन अवधि के दौरान कार्य के संबंध/संदर्भ में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति या मुआवजा देने/ई.एस.आई. करवाने/सामूहिक दुर्घटना बीमा कराने इत्यादि की जिम्मेदारी एवं दायित्व संवेदक का होगा, इसके लिये उपापन संस्था (आर.एस.एम.एम.एल.) की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

(xv) यदि संवेदक द्वारा नियमानुसार निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं किए जाने की शिकायत उपापन संस्था (आर.एस.एम.एम.एल.) को प्राप्त होती है तो उपापन संस्था (आर.एस.एम.एम.एल.) इस संबंध में श्रम विभाग को अनिवार्य रूप से सूचित करेगा और नियमानुसार आवश्यक होने की स्थिति में संवेदक को क्मइंत कराने की कार्यवाही करेगी।

(xvi) यदि किसी संस्था द्वारा कार्य की विशिष्ट प्रकृति के मद्देनजर किसी निर्धारित प्रतिशत में कोई अतिरिक्त राशि मानव संसाधन हेतु स्वीकृत करा रखी हो, तो उक्त अतिरिक्त राशि का न्यूनतम मजदूरी में सम्मिलित नहीं करते हुए इसे पृथक से भुगतान हेतु अंकित किया जायेगा। उदाहरण के लिए यदि किसी उपापन संस्था द्वारा अतिरिक्त राशि के रूप में न्यूनतम मजदूरी का 10 प्रतिशत की सक्षम स्वीकृति प्राप्त कर रखी है तो न्यूनतम मजदूरी के ऊपर 10 प्रतिशत का पृथक से भुगतान संवेदक को किया जायेगा। उक्तानुसार विशिष्ट कार्य करने वाले संबंधित श्रमिक को 10 प्रतिशत (न्यूनतम मजदूरी का) अतिरिक्त भुगतान करने का दायित्व संबंधित संवेदक को हेागा।

(xvii) डपापन संस्था (आर.एस.एम.एम.एल.) द्वारा संवेदक को कार्य आदेश जारी करने के पश्चात् कार्यादेश की प्रति श्रम विभाग को संबंधित जिला स्तरीय अधिकारी एवं श्रम विभाग मुख्यालय को अनिवार्य रूप से प्रेषित की जावेगी।

3.9 **कार्य की अवधि**

उपरोक्त कार्य की अवधि कार्य आदेश जारी होने की तिथि से दो वर्ष के लिए होगी। कम्पनी द्वारा स्वविवेक से कार्य अवधि को समान दर एव शर्ते पर एक वर्ष के लिये RTPP एक्ट के प्रावधानों के अनुसार बढाया जा सकता है। कम्पनी द्वारा बढी कार्य अवधि में कार्य की मूल लागत कीमत के 50 प्रतिशत राशि तक बढाया जा सकता है।

3.10 प्रत्येक कार्य दिवस पर लगाये गये श्रमिकों की संख्या एवं उनके द्वारा किये गये कार्य का विवरण प्रभारी अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत कर सत्यापित कराना होगा तथा इसकी प्रतिलिपी मासिक बिल के साथ प्रस्तुत करनी होगी।

3.11 **कार्य का भुगतान**

किये गये कार्य का भुगतान महिने में एक बार किया जायेगा। जिसके लिए बिल हर माह की समाप्ति पर 10 तारीख तक एक नामित अधिकारी को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। साधारणतः मासिक बिलों का भुगतान; वैधानिक कटौतियॉ करने के बाद, बिल प्रस्तुत करने के पन्द्रह दिन की अवधि के अन्दर आर.टी.जी.एस. द्वारा सीधे अनुबंघकर्ता के बैंक खाते में ही किया जायेगा। वस्तु एवं सेवा कर का पुर्नभरण वस्तु एवं सेवा कर जमा करवाने के तथ्यात्मक प्रमाण प्रस्तुत करने के आधार पर ही किया जायेगा ।

3.12 कार्य स्थल पर नियुक्त सक्षम व्यक्ति के निर्देशानुसार कार्य करना होगा।

3.13 कार्य की अवधि के दौरान निविदाकर्ता को निर्धारित दर के अतिरिक्त कोई भुगतान नहीं किया जायेगा । निविदाकर्ता को कार्य के दौरान लगाए गए श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी की दर से भुगतान करना अनिवार्य होगा तथा भुगतान श्रमिकों के बैंक खाते में जमा करवाना होगा जिसके बैंक स्टेटमेंट की प्रति मासिक बिल के साथ प्रस्तुत करनी होगी ।

3.14 कार्य को निर्धारित अवधि (कार्यादेश की तिथी से 15 दिवस) में शुरू नहीं कर पाने की दशा में कंपनी द्वारा यदि कार्य को करने में हुई देरी अनुबंध कर्ता के कारण हुई है तो कुल अनुबंध राशि का 0.5 प्रतिशत राशि का जुर्माना साप्ताहिक लिया जायेगा यदि ये जुर्माना राशि 2 प्रतिशत कुल अनुबंध राशि से ऊपर चली गयी तब कंपनी स्वविवेक से निविदा की शर्तो के अनुसार कार्यदेशों को निरस्त कर धरोहर राशि/बयाना राशि जब्त कर सकती है।

3.15 प्रत्येक कार्य दिवस पर आवश्यकतानुसार न्यूनतम 8 अकुशल श्रमिक उपलब्ध कराने होंगे। यदि किसी दिन पर्याप्त मजदूरों के अभाव मे कार्य में रूकावट उतपन्न होती है तो जुर्माना स्वरूप आपके मासिक बिल में से रू. **1000**/– प्रति कार्य दिवस के हिसाब से कटौती की जायेगी। इसके अतिरिक्त कंपनी को यह भी अधिकार होगा कि आयश्यकतानुसार अकुशल श्रमिक उपलब्ध नहीं कराने के कारण कार्य में रुकावट को रोकने के लिये अनुबंधकर्ता की जोखिम पर वास्तविक लागत पर श्रमिक लगा सकेगें और इस स्थिति में जो भी व्यय कंपनी द्वारा श्रमिकों की व्यवस्था पर किया जायेगा उसकी पूर्ण कटौती अनुबंधकर्ता के मासिक बिल या सिक्युरिटी डिपोजिट में से किया जाएगा।

3.16 किसी भी निर्णय या स्पष्टीकरण के लिए निविदाकर्ता कार्य नहीं रोकेगा एवं प्रभारी अधिकारी/अधिकृत अधिकारी के निर्देशानुसार कार्य करता रहेगा।

3.17 किसी भी प्रकार का विवाद होने पर कंपनी के समूह महाप्रबन्धक का निर्णय अन्तिम एवं सभी पक्षों को मान्य होगा।

3.18 कार्य के लिए प्रयुक्त होने वाले औजारों जैसे की फावड़ा, गैंती, तगारी, बेलचा, कुल्हाडी इत्यादि के खरीद व भण्डारण की व्यवस्था अनुबन्धकर्ता को स्वयं करनी होगी।

4.0 सफल निविदाकर्त्ताओं के लिए सामान्य शर्ते एवं प्रतिबन्ध

4.1.0 सिक्युरिटी डिपोजिट (अमानत राशि)

4.1.1 अमानत राशि कुल अनुबंधित राशि (Total Contract Value) की 5 प्रतिशत होगी, जो कि बैंक गारन्टी/अथवा डीडी द्वारा देय होगी । बैंक गारन्टी उचित मूल्य के नॉन ज्युडिसियल स्टॉम्प पेपर (प्रचलित स्टाम्प ड्यूटी अधिनियम) कम्पनी द्वारा निर्धारित प्रारूप में (एसबीआई को छोड़कर किसी भी पीएसयू बैंक से/आईसीआईसीआई/एक्सिस/एचडीएफसी बैंक से दी जा सकती है ।

4.1.2 अमानत राशि को अनुबंध अवधि के समाप्त होने के छः माह बाद लौटायी जायेगी लेकिन अनुबन्धकर्ता को अनुबंध से संबंधित उसके सारे दायित्व पूरे करने होंगे और कोई बकाया नहीं प्रमाण पत्र कंपनी को प्रस्तुत करना होगा ।

4.1.3 कंपनी को पूर्ण अधिकार होगा कि वह पूर्ण या आंशिकतौर पर अमानत राशि को जब्त कर सकती है तब जब अनुबन्धकर्ता या तो अनुबंध के अधीन अपने दायित्व पूरे नहीं करें या कंपनी से संबंधित सभी देयताओं को कंपनी को भुगतान करने में असफल हो ।

4.1.4 अगर अनुबन्ध अवधि के दौरान किसी भी कारणवश अमानत राशि कम पडती है तो अनुबंधकर्ता को अतिरिक्त अमानत राशि जमा करानी पडेगी । कंपनी अमानत राशि की पूर्ति अनुबंधकर्ता के मासिक बिलों में से भी कर सकती है ।

4.1.5 अमानत राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा ।

4.2.0 कर एवं दरें

1. निविदादाता को प्रस्तुत दरों में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) सम्मिलित नहीं करना होगा अन्य सभी प्रकार की टैक्स एवं ड्यूटी शामिल करनी होगी जो कि निविदा की अंतिम तिथि तक लागू हो। प्रस्तुत दरें कार्य अवधि के दौरान स्थिर रहेगी एवं निविदा में वर्णित शर्तो के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार की वृद्धि देय नहीं होगी।

2. वस्तु एवं सेवा कर का समय से भुगतान करना एवं टैक्स रिटर्न समय से जमा करवाने की सम्पूर्ण म्मिेदारी कांट्रेक्टर की रहेगी। इसके तहत प्राप्त निर्धारित क्रेडिट RSMML को मिले यह सुनिश्चित करना भी कांट्रेक्टर का कार्य होगा।

3. यदि किसी कारणवश RSMML को क्रडिट नहीं मिलता है तो कम्पनी कांट्रेक्टर को देय बिल/सिक्योरिटी डिपोजिट में से यह क्रडिट राशि कटौती करने के लिए स्वतंत्र रहेगी।

4. कार्य के लिए देय भुगतान के GST return भरने में हुई गलती या देरी एवं Reversal of input tax credit (ITC) कारण पैनेल्टी लगने की परिस्तिथी में देय राशि का भुगतान कांट्रेक्टर द्वारा किया जायेगा, यदि ऐसा नहीं होता है तो कम्पनी यह राशि काट्रेक्टर को देय राशि में से कटौती/समायोजित कर सकती हैं।

5. निविदादाता को निविदा दर भरते समय सभी प्रकार के डयूटी एवं लेवीज, जो इस कार्य से संबंधित हो जोडकर भरनी होगी । इस विषय में अनभिज्ञता अगर निविदादाता द्वारा दर्षायी गयी, तो वह अतिरिक्त पेमेन्ट इस एवज में प्राप्त करने का अधिकार नहीं रखता है ।

6. अगर निविदा भरने के बाद कर एवं डयूटी बढती है या घटती है या निरस्त हो जाती है या नयी इम्पोज की जाती है और जो अनुबंधित कार्य से संबंधित है तो आरएसएमएमएल अनुबंधकर्ता से कर एवं डयूटी की वसूली करेगा या अनुबंधकर्ता को इन करों एवं डयूटी की क्षतिपूर्ति करेगा लेकिन इसके लिए अनुबन्धकर्ता को कंपनी को इससे संबंधित दस्तावेज देने

होंगे । कंपनी को आयकर या अन्य कर जो इस कार्य से संबंधित हो की कटौती करने का पूर्ण अधिकार है ।

7. सफल निविदाकर्ता के मासिक बिलों में से आयकर तथा अन्य वैद्यानिक कटौतियां नियमानुसार प्रचलित दर के अनुसार होगी।

4.3.0 **कानूनी एवं वैद्यानिक आवश्यकताऐं** :–

सफल निविदाकर्ता को माइन्स एक्ट 1952 तथा इसके अन्तर्गत रूल्स एवं अन्य रेगूलेशन्स, वर्कमेन्स कम्पेंशेसन एक्ट 1923, एम्प्लोइज प्रोविडेन्ट फण्ड एण्ड मिसलेनियस प्रोविजन्स एक्ट 1952, पेमेन्ट ऑफ ग्रेच्यूटी एक्ट 1972 कोन्ट्रेक्ट लेबर (रेगूलेशन एण्ड एबोलिशन)एक्ट 1970, पेमेन्ट आफ वेजेज एक्ट 1936, मोटर व्हीकल एक्ट 1988 इण्डस्ट्रीयल डिस्पियुट एक्ट 1947, इण्डस्ट्रियल एम्पलोयमेंट (स्टेडिंग ओर्डर्स) एक्ट, राजस्थान लोक उपापन में पारदर्षिता अधिनियम, 2012 तथा इस अनुबन्ध से सम्बन्धित समस्त केन्द्रीय या राज्य अधिनियम, नियम एवं रेगूलेशन्स का पालन करना होगा। केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी लेबर रेगूलेशन्स/संशोधन आदि का भी पालन करना होगा। उपरोक्त नियमों के पालन करने में असमर्थ रहने की स्थिति में अनुबन्ध समाप्त भी किया जा सकता है ।

4.4.0 **भविष्य निधि :**

4.4.1 इस कार्य के संबंधित कर्मचारी के प्रति अनुबंधकर्ता स्वयं भविष्य निधि अधिनियम, 1952 एवं समय–समय पर संशोधित नियमों की पालना करने के लिए उतरदायी है, यदि नियमानुसार भविष्य निधि अधिनियम लागू है तो ।

4.4.2 भविष्य निधि अधिनियम, 1952 के अनुसार अनुबंधकर्ता को अपने आपको रीजनल प्राविडेण्ट फण्ड कमिष्नर (RPFC) के अर्न्तगत रजिस्टर्ड करवाना होगा अगर उसने रजिस्ट्रेषन अभी नहीं करवा रखा है तो । निविदादाता को आरपीएफसी आफिस से प्राप्त भविष्य निधि रजिस्ट्रेषन नम्बर की प्रति कार्य प्रारंभ करने से पहले कंपनी को प्रस्तुत करनी होगी अगर वह नहीं देता है तो अनुबंध निरस्त किया जा सकता है ।

4.4.3 अगर निविदादाता पर ईपीएफ एण्ड एमपी अधिनियम लागू नहीं होता है लेकिन कार्न्ट्रेक्ट लेबर (R&A) की एप्लीकेबिलिटी के कारण कर्मचारियों के वेतन में से काटे गये भविष्य निधि व नियोक्ता का अंशदान जमा कराना है, तो वह आरएसएमएमएल के पीएफ ट्रस्ट में 1.10% प्रतिशत प्रशासनिक चार्ज सहित जमा करा सकता है । इस हेतु उसे एक शपथ पत्र एनेक्सचर–प्रथम के फारमेट में उचित मूल्य के नोन–ज्युडिषियल स्टाम्प पेपर पर देना होगा। यह उसे तकनीकी वाणिज्यिक निविदा के साथ संलग्न करना होगा।

4.4.4 उसको हर मासिक बिल/अन्तिम बिल के साथ एक विवरण देना होगा जिसमें श्रमिक/कर्मचारी का नाम, अनुबंधकर्ता द्वारा उसको दिया गया पारिश्रमिक का विवरण, काटी गयी भविष्य निधि की राशि एवं नियोक्ता द्वारा किये गये अंशदान का विवरण, राशि जो आरपीएफसी आफिस/ट्रस्ट में हर कर्मचारी/ श्रमिक के नाम पर जमा कराई गई है उसका विवरण देना होगा और चालान की कापी पिछले माह की मासिक बिलों के साथ संलग्न करनी होगी ।

4.5.0 **कार्यादेश की सूचना एवं संविदा इकरारनामा**

4.5.1 निविदाकर्ता जिसकी दर को स्वीकार किया जा चुका है उसे कम्पनी द्वारा कार्य प्रदान किये जाने की सूचना डाक या फेक्स द्वारा दी जायेगी एवं की संपुष्टि रजिस्टर्ड पत्र अथवा स्पीड पोस्ट से दी जायेगी । इस पत्र (जिसे के बाद में एवं संविदा की शर्तें में "सहमति पत्र" कहा जायेगा) में ठेके की दर (contract rate) का उल्लेख किया जायेगा । इस दर पर कम्पनी द्वारा ठेकेदार को संविदा में उल्लेखित कार्य के निष्पादन एवं उसके द्वारा पूर्णरुप से निष्पादित किये गये कार्य के एवज में भुगतान किया जायेगा।

4.5.2 कार्य प्रदान करने की अधिसूचना ही संविदा की संरचना करेगा। निम्नवर्णित धारा के अनुसार कार्य का निष्पादन, जो कि सहमति पत्र (एल.ओ.ए.) के जारी होने के साथ आरम्भ हुआ था , इकरारनामा की औपचारिकता निर्धारित करेगी।

4.5.3 सफल निविदाकर्ता को कम्पनी के साथ,निविदा स्वीकृति की सूचना के 30 दिन के भीतर इंडियन स्टेम्प एक्ट के तहत,उचित मूल्य के नॉन ज्यूडिषियल स्टेम्प पेपर पर एक इकरारनामा सम्पन्न करना होगा । नॉन ज्यूडिषियल स्टेम्प एवं इकरारनामा का समस्त व्यय ठेकेदार को वहन करना होगा ।

4.6.0 **अनुबन्ध समाप्त करने बाबत :–**

4.6.1 इस अनुबन्ध में वर्णित किसी शर्त अथवा प्रतिबन्ध का पालन करने में असमर्थ रहने पर कंपनी नोटिस द्वारा सूचित करेगी कि वह इसे 15 दिवस के भीतर भीतर ठीक कर दें। इस समय सीमा में अगर निविदाकर्ता उपरोक्त शर्तों या आवश्यकताओं को पूर्ण करने में असफल रहता है तो कंपनी को यह अधिकार होगा कि वह इस अनुबन्ध को समाप्त कर दें तथा कंपनी को इसके परिणामस्वरूप होने वाले नुकसान का हर्जाना निविदाकर्त्ता की सिक्युरिटी डिपोजिट जब्त करके व/अथवा ठेकेदार को किये जाने वाले अन्य भुगतान में से वसूल करें।

4.6.2 यदि प्रभारी अधिकारी की पूर्वानुमति के बिना लगातार 7 दिन कार्य बंद रहता है तो कंपनी को यह पूरा पूरा अधिकार होगा कि वह इस अनुबन्ध को समाप्त कर दें।

4.6.3 कंपनी को यह पूरा अधिकार होगा कि वह अनुबन्ध अवधि के दौरान किसी भी समय बिना कोई कारण बताए, 30 दिन की पूर्व सूचना (नोटिस) पर इस अनुबन्ध को समाप्त कर दें। निविदाकर्ता ऐसी स्थिति में किसी भी प्रकार के क्षतिपूर्ति दावे या हर्जाने का हकदार नहीं होगा।

4.6.4 राज्य सरकार/सरकारी विभाग या किसी न्यायिक आदेश की अनुपालना में यदि प्राकृतिक आपदा अथवा अन्य किसी अपरिहार्य कारणों से यदि कार्य नहीं किया जाता है अथवा खनन प्रक्रिया या उससे जुड़े कार्य बंद करने पड़ते है तथा उसी क्रम में यदि कंपनी को बिना पूर्व सूचना के यह अनुबन्ध समाप्त करना पड़ता है तो निविदाकर्त्ता ऐसी स्थिति में किसी भी प्रकार के क्षतिपूर्ति दावे या हर्जाने का हकदार नहीं होगा।

4.6.5 **न्याय क्षेत्र :** इस अनुबंध से संबंधित किसी भी प्रकार का विवाद होने पर न्याय क्षेत्र जैसलमेर न्यायालय ही रहेगा।

4.6.6 **अपील :** राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 की धारा 40 के अर्न्तगत यदि कोई भी बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला उपापन संस्थान के किसी भी निर्णय, कार्यवाही या लोप, जैसी भी स्थिति हो, से किसी भी रूप में असंतुष्ट या खफा है, तो वह

निर्धारित फीस जमा करवाकर, दस दिन के भीतर निर्धारित प्रथम या द्वितीय अपीलेट अथॉरिटी को उक्त निर्णय, कार्यवाही या लोप का स्पष्ट उल्लेख करते हुए फार्म नं. 1 (देखें नियम 83) – राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियिम– 2012 की मेमोरेण्डम ऑफ अपील के तहत अपील कर सकता है।

4.6.7 **सब लेट** (Sub letting): निविदाकर्ता कार्य को पूर्ण या आंशिक रुप से किसी अन्य फर्म/व्यक्ति को सबलेट नहीं कर सकेगा । इस शर्त की अवहेलना करने की स्थिति में कम्पनी द्वारा अनुबन्ध को समाप्त कर अनुबन्धकर्ता की अमानत राशि को जब्त किया जा सकेगा ।

महाप्रबन्धक
एस.बी.यू. व पी.सी. लाईम स्टोन,

निविदाकर्ता द्वारा निविदा प्रपत्र को पूर्ण रूप से पढने एवं समझने के बाद इस भाग को भरना चाहिए।

क्र सं	विवरण	निविदाकर्ता स्वयं भरे
01	वांछित धरोहर राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट सं व राशि	बैंक का विवरण..... डिमाण्ड ड्राफ्ट सं ..... राशि..... दिनांक .....
02	निविदाकर्ता का नाम, वर्तमान व स्थाई पता एवं टेलीफोन नं.	नाम..... पता..... .....
03	संविदाकर्ता को एमएसएमईडी रजिस्ट्रेशन (MSMED Act 2006) के लिये ।	हाँ/नहीं
04	राजस्थान अनुबन्धित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम–1970 के अन्तर्गत जारी सक्षम प्रधिकारी के रजिस्ट्रेशन/लाइसेंस प्रमाण पत्र ।	हाँ/नहीं
05	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम–1952 के अन्तर्गत जारी सक्षम प्रधिकारी के रजिस्ट्रेषन/लाइसेंस प्रमाण पत्र ।	हाँ/नहीं
06	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम–1948 के अन्तर्गत जारी सक्षम प्रधिकारी के रजिस्ट्रेशन/लाइसेंस प्रमाण पत्र ।	हाँ/नहीं
07	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम–1958/इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट–1932 /इण्डियन कम्पनी एक्ट–1956 के अन्तर्गत जारी सक्षम प्रधिकारी के रजिस्ट्रेशन/लाइसेंस प्रमाण पत्र ।	हाँ/नहीं
08	क्या वर्तमान में आप इस तरह का कार्य कर रहे है या किया हुआ है यदि हॉ तो पूर्ण विवरण देवें ।	
09	पेनकार्ड नम्बर की फोटो प्रति	
10	वस्तु एवं सर्विस कर नम्बर की फोटो प्रति	
11	पी.एफ.खाता नम्बर की फोटो प्रति या रु.50.00 का शपथ पत्र नोटेरी पब्लिक से सत्यापित करवाकर प्रस्तुत करें। (Annexure-I)	
12	निविदाकर्ता का कुल कारोबार (कम से कम रु. 5.93 लाख)–(प्रतिवर्ष कारोबार किये जाने का प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है।)	
	वर्ष 2016–17,	रु.....
	वर्ष 2017–18	रु.....
	वर्ष 2018–19	रु.....

हस्ताक्षर निविदाकर्ता मय मोहर

दिनांक :
संलग्न :–

Bank Details of Tenderer for RTGS/NEFT/Online refund of EMD

Sl.No.	Description	Details
1	Name of Tenderer	
2	e-mail ID	
3	Mobile no.(for SMS)	
3	Bank Account No.	
4	Banker details: a) Name b) Branch No. c) Address	
5	Type of A/c : Saving / Current / CC/ any other	
6	IFSC code	

Name & Signature of Tenderer
with seal

राजस्थान स्टेट माईन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड़

(राजस्थान सरकार का उपक्रम)

ई–निविदा संख्याः RSMM/SBU&PC-LS/GGM(LS)/Cont-016/2019-20/ दिनांक 02.03.2020

द्वितीय भाग

दर प्रस्ताव (Rate Part-BOQ)

(to be submitted online only in the prescribed format given on the website www.eproc.rajasthan.gov.in)

निविदाकार द्वारा निविदा प्रपत्र को पूर्ण रूप से पढ़ने एवं समझने के बाद इस भाग को ऑन–लाईन ठक में ही भरना होगा, निम्न प्रारूप मात्र सूचना हेतु दर्षाया गया है :–

क्र.सं.	कार्य की प्रकृति	कार्य हेतु आवश्यक मानव संसाधन की संख्या (कुशल)	श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी प्रतिमाह प्रति श्रमिक	सैवा प्रदाता द्वारा प्रस्तुत प्रति व्यक्ति दर	ई.पी.एफ. दर प्रतिशत प्रतिमाह प्रति श्रमिक	ई.एस.आई. दर प्रतिशत प्रतिमाह प्रति श्रमिक	सेवा प्रदाता का सर्विस चार्ज न्यूनतम मजदूरी के आधार पर प्रतिमाह प्रति श्रमिक (% में)	कुल राशि प्रतिमाह प्रति श्रमिक (योग स्तम्भ संख्या 4 से 8)
1.	2.	3.	4.	5.	6	7..	8	9.
1	सानु लाईमस्टोन पर वृक्षारोपण एवं अन्य विभिन्न कार्यो हेतु पर्याप्त संख्या में अकुशल श्रमिक लगाकर संबंधित कार्य करवाना।	**8**	**10,410 /.**		स्तम्भ संख्या 4 का **12.00%**	स्तम्भ संख्या 4 का **3.25%**	BOQ में ही ऑन–लाईन प्रविष्टियां की जा सकेंगी	कुल राशि प्रतिमाह प्रति श्रमिक (**योग** स्तम्भ संख्या 4 से 8)
		योग कुल मासिक राशि = (स्तम्भ संख्या 3 x स्तम्भ संख्या 9)						

नोट :

1. अगर निविदा भरने के बाद ईपीएफ दर और ईएसआई दर में वृद्वि या घटोतरी होती तो उसी वृद्वि या घटोतरी अनुसार ही अनुबंधकर्ता को आरएसएमएमएल द्वारा भुगतान किया जाएगा।
2. उपर्युक्त तालिका में क्रम संख्या 1 से 4, 6 व 7 की पूर्तियां संस्था द्वारा की गई है। बोलीदाता द्वारा स्तम्भ संख्या 5 व 8 में ही समुचित प्रविष्टियां की जानी हैं।
3. संवेदक द्वारा BOQ में ही ऑन–लाईन प्रविष्टियां की जा सकेंगी जिसमें निविदादाता को सेवा शुल्क न्यूनतम मजदूरी को आधार मानते हुए प्रतिशत (%) में भरकर अपलोड करना होगा। दर प्रस्ताव में निविदाकर्ता को सेवा शुल्क शून्य प्रतिशत से अधिक भरना आवश्यक है, शून्य प्रतिशत में 0.9999 तक के सभी व्युत्पन्न शामिल है और कोई सेवा शुल्क वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभग दिशानिर्देशों के आदेश संख्या 31/14/1000/ 2014–GA दिनांक 17/09/2014 की अक्षरशः पालना नही होने पर उसे गैर जिम्मेदार मानते हूए ऐसे दर प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा ।
4. दर प्रस्ताव अनुमोदित BOQ प्रारूप में ऑनलाइन प्रस्तुत करने का प्रावधान है और, इसमें विफलता की अवस्था में निविदा दर प्रस्ताव को अस्वीकार किया जा सकता है ।
5. अंकों व शब्दों में लिखी गई दर में विरोधाभास होने पर शब्दों में लिखी गई दरें ही मान्य होगी ।
6. उपरोक्त दर में **जी.एस.टी. को शामिल नहीं किया गया है। जी.एस.टी. नियमानुसार देय होगा ।**
7. उपरोक्त कार्य के लिये मासिक आधार पर प्राप्त दर प्रस्ताव ही मूलतः न्यूनतम दर का प्रस्ताव माना जाएगा।
8. उपरोक्त दरों से अतिरिक्त कहीं भी दर प्रस्ताव संबंधित अंश आदि निविदा प्रस्ताव में इंगित नहीं किया गया है।

निविदाकार के हस्ताक्षर ————————————————

निविदाकार का नाम व पद ————————————————

पता ----------

टेलिफोन नं0 ————————————

दिनांक ————————————

Annexure-I

AFFIDAVIT

(TO BE TYPED ON THE NON JUDICIAL STAMP PAPER OF Rs. 50/- ATTESTED BY NOTARY/MAGISTRATE)

I …….. S/o …….. aged ……. Years …… Resident of ……On behalf of the tenderer i.e. M/s ……

Hereby take oath and state as under:

1. That I/We have submitted a tender for...…….
2. That I/We have gone through the terms & conditions of the tender document.
3. That the provisions of the EPF & MP Act are not applicable on me/us (i.e.the above tenderer / contractor).
4. That in case during the currency of the contract, I/We come under the purview of the EPF & MP Act, then I/we will get myself/ourselves registered with the concerned PF Commissioners.

Deponent
(Authorised signatory)

Verification

I, the above mentioned deponent make oath and state that my above statement is true and correct to my personal knowledge, and no part of it is wrong and that nothing material has been concealed. So help me god.

Deponent
(Authorised signatory)

Dated: ----------

Place: ------

(Authorised Signatory)
Name of the Designation/ Relationship of the authorised Signatory with the tenderer

ANNEXURE-A

Compliance with the Code of integrity and No Conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall:

(a) not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process.

(b) not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation.

(c) not indulge in any collusion, Bid rigging or anti competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;

(d) not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;

(e) not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process.

(f) not obstruct any investigation or audit of a procurement process.

(g) disclose conflict of interest, if any; and

(h) disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of Interest:

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest.

A Conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

i. A Bidder may be considered to be in Conflict of Interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to:

a. have controlling partners/shareholders in common; or

b. receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or

c. have the same legal representative for purposes of the Bid; or

d. have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or

e. the Bidder participates in more than one Bid in a bidding process. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or

f. the Bidder or any of its affiliates participated as a contractor in the preparation of the design or technical specifications of the Goods. Works or Services that are the subject of the Bid; or

Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the Procuring Entity as engineer-in-charge/contractor for the contract.

ANNEXURE-B

Declaration by the Bidder regarding Qualifications

Declaration by the Bidder

In relation to my/our Bid submitted For procurement in response to Notice Inviting Bids I/We hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that:

1. I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity.
2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document.
3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons.
4. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding of commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;
5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition;

Date **Signature of bidder**

Place **Name:**

Designation:

Address:

Annexure-C

The designation and address of the First Appellate Authority is –

Secretary to the Government of Rajasthan,
Department of Mines & Petroleum,
Secretariat,
Jaipur

The designation and address of the Second Appellate Authority is –

Principal Secretary to the Government of Rajasthan,
Department of Finance,
Secretariat,
Jaipur

(1) **Filing an appeal**

If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued thereunder, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved:

Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings:

Provided further that in case a Procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

(2) The officer to whom an appeal is filed under para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavour to dispose it of within thirty days from the date of appeal.

(3) If the officer designated under para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in para (2), or if the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file second appeal to Second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.

(4) **Appeal not to lie in certain cases**
No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely:-

(a) determination of need of procumbent;
(b) provisions limiting participation of Bidders in the bid process;
(c) the decision of whether or not to enter into negotiations;

(d) cancellation of a procurement process;
(e) applicability of the provisions of confidentiality.

(5) **Form of Appeal**

(a) An appeal under para (1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.

(b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.

(c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorized representative.

(6) **Fee for filing appeal**

(a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non refundable.

(b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

(7) **Procedure for disposal of appeal**

(a) The first Appellate Authority or Second Appellate Authority as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and document, if any, to the respondents and fix date of hearing.

(b) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall:-

(i) hear all the parties to appeal present before him; and

(ii) peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.

(c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.

(d) The order passed under sub-clause(c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

Form No.1
(See rule 83)

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012

Appeal No. ……. of …….
Before the …….(first/second Appellate Authority)

1. Particular of appellant:

   (i) Name of the appellant:

   (ii) Official address, if any:

   (iii) Residential address:

2. Name and address of the respondent(s):

(i)
(ii)
(iii)

3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer/authority who passed the order (enclosed copy, or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved:

4. If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative:

5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:

6. Ground of appeal :
   …….
   ……
   ……..(Supported by an affidavit)

7. Prayer: …….
   ……..
   Place ……..
   Date ……..
   Appellant's Signature

Annexure-D

Additional Conditions of Contract

1. **Correction of arithmetical errors**

Provided that a Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis:

i. if there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected.

ii. if there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and

iii. if there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

2. **Procuring Entity's Right to Vary Quantities**

(i) At the time of award of contract, the quantity of Goods, works or services originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unit prices or other terms and conditions of the Bid and the conditions of contract.

(ii) If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.

(iii)In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 50% of the value of Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the Supplier fails to do so, the Procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the supplier.

Annexure E

PROFORMA OF BANK GUARANTTEE FOR SECURITY DEPOSIT

(To be issued by a **PSU(except SBI) /Axis/ICICI/HDC Bank having Branch office at Jodhpur** on non-judicial stamp paper of 0.25% of BG value or as per prevailing stamp duty act as on the date of issuance of BG)

B.G. _____ Dated 00.00.20…….

This Deed of Guarantee made between ---------- Bank having its registered office at and its head office at _____ and wherever the context so required include its successors and assignees (hereinafter called the Surety/Bank) AND Rajasthan State Mines and Minerals Limited, a company incorporated and registered under Indian companies Act,1956, having its registered office at C89/90 Lal Kothi Scheme, Janpath, Jaipur and Corporate office at 4 Meera Marg, Udaipur and wherever its context so required includes its successors and assignees(hereinafter called 'the company).
Whereas the Company having agreed to exempt M/s. _____ ___a company/partnership firm (address of registered/RO.) where ever the context so require includes its successors and assignees (hereinafter called 'the Contractor) from the demand under the terms and
conditions of letter of Acceptance no. _____dated _____issued in favour of the Contractor and agreement dated entered into between RSMML and M/s._____(Contractor), hereinafter called 'the said letter of Acceptance/agreement' which expression shall also include any amendment, modification or variations thereof made in accordance with the provision thereof, of cash security deposit for the due fulfilment by the said letter of Acceptance/agreement on production of unconditional and irrevocable Bank Guarantee for Rs_____(Rs.)
being equivalent to _____ % of Contract value of Rs. _____

Now this deed witnesseth that in consideration of said bank having agreed on the request of the Contractor to stand as surety for payment of Rs. as security deposit to the company subject to the following conditions.
1. We, (Bank) do hereby undertake to pay to the company as amount not exceeding Rs._____ against any loss or damage caused to or suffered or would be caused to or suffered by the company by reason of any breach by the said contractor of any of the terms and/or conditions contained in the Letter of Acceptance/Agreement The decision of the Company, as to any such breach having been committed and loss/damage suffered to shall be absolute and binding on us.

2. We, _____(bank) do hereby undertake without any reference to the Contractor or any other person and irrespective of the fact whether any dispute is pending between the Company and the Contractor before any court or tribunal or Arbitrator relating thereto, to pay the amount due and payable under this guarantee without any demur, and/or protest merely on the very first demand from the Company stating that the amount claimed is due by way of loss or damage caused to or suffered by or would be caused to or suffered by the Company by reason of any breach by the said contractor of any of the terms and condition contained in the said Letter of Acceptance/agreement by reason of the said contractor's failure to perform the convenants contained in said letter of Acceptance/agreement. Any such demand made on the bank shall be conclusive absolute and unequivocal as regards the amount due and payable by the bank under this guarantee. However, bank's liability under this guarantee shall be restricted to an amount not exceeding Rs. _____.

3. We, _____ (bank) further agree that the guarantee herein above contained shall remain in full force and effect during the period that would be taken for the performance of the agreement and that it shall continue to be enforceable till all the dues of the company under or by virtue of the agreement have been fully paid and its claim/s satisfied or discharged or till the company certifies that the terms and the conditions of the said Letter of Acceptance/agreement have been fully and properly carried out by the said contractor and accordingly discharges the guarantee, unless a demand or claim under this guarantee is made on the bank in writing on or before (scheduled completion date, plus six months), the bank shall be discharged from all liability under this guarantee thereafter unless otherwise further **exten**ded by the bank.

4. **In** order to give full effect to the guarantee herein contained the company shall be entitled to act as if, we(bank) are your principal debtor in respect of all your claims against the Contractor hereby guaranteed by us as aforesaid and we hereby expressly waive all our rights of suretyship and other rights, if any which are in any way inconsistent and/or contrary to the above or any other provision of this guarantee, the bank's guarantee to pay hereunder will not be determined or affected by your proceeding against the Contractor and the bank will be liable to pay the said sum as and when demanded by you merely on first demand being made on the bank by you and even before any legal or other proceedings taken against the contractor. Any letter of demand delivered at the bank's above branch/divisional office or Jodhpur branch office under the signatures of the company's Financial Advisor and/or Head of SBU & PC - limestone or any of the Directors shall deemed to be sufficient demand under this guarantee.

5. We, _____(bank) further agree that the company shall have the fullest liberty without our consent and without affecting in any manner our obligation hereunder to vary any of the terms and conditions of the said Letter of Acceptance/agreement or to **exten**d time of performance by the said Contractor from time to time or to postpone for any time or from time to time any of the powers exercisable by the Company against the said Contractor and to forbear or enforce any of the terms and conditions relating to the Letter of Acceptance/Agreement and we shall not be relieved from our liability by reason of any such variation or **exten**sion being granted to the said contractor or for any fore bearance act, or omissions on the part of the company or any indulgence of the Company to the said Contractor or by any such matter or things whatsoever which under the law relating to the sureties would but for this provisions have effect of so relieving us.

6. This guarantee herein contained would come into force from the date of issue and would not be affected by any change in the constitution of the contractor or ourselves or liquidation or winding up or dissolution or insolvency of the contractor nor shall it be affected by any change in company's constitution or by any amalgamation or any absorption thereof or therewith but shall ensure for and be available to and enforceable by absorbing or amalgamated company or concern till the payment or amount not exceeding Rs. _____ is made by the Bank.

7. The guarantee will not be discharged or affected if the Company holds/obtain any other security/guarantee/promissory note from any person and/or the contractor and this guarantee shall be in addition to any such guarantees.

8. We, _____ (Bank) lastly undertake not to revoke this guarantee during this currency except with the previous consent of the company in writing.

9. The bank has power to issue this guarantee in favour of the Company and the undersigned has full powers to do so under power of Attorney dated _____granted to him by the bank.

10. For the purpose of enforcing legal rights in respect of this guarantee Udaipur courts in the state of Rajasthan alone shall have jurisdiction.

IN WITNESSETH I**,** HEREBY_____SON OF_____ (designation) _____(branch) constituted attorney of the said bank have set my signatures and bank seal on this guarantee which is being issued on non-judicial stamp of proper value as per Stamp Act prevailing in the state of _____ executed at _____this the day_____ of _____20